शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–902/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2020**

विषयः–प्रदेश में औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य कार्यालयों/संस्थाओं/संस्थानों में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रबन्धन एवं बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु लागू किये गये देश व्यापी लॉकडाउन में धीरे–धीरे चरणों में छुट दी जा रही है, जिससे निर्माण स्थलों/कार्य स्थलों/कार्यालयों में कार्य प्रारम्भ हो रहा है। इन स्थानों पर कार्य प्रारम्भ होने से व्यक्तियों के मध्य सम्पर्क बढ़ेगा, जिससे कोविड–19 का संक्रमण बढ़ सकता है।

2– उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विभिन्न निर्माण स्थलों/कार्य स्थलों/कार्यालयों में कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

(क) कार्यस्थलों पर की जाने वाली कार्यवाही –

1. कार्यस्थल के प्रवेश द्वार एवं प्रमुख स्थानों पर श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा नियमित रूप से हाथ धोने की व्यवस्था की जाए। यूनिट में प्रवेश करने से पूर्व कार्मिकों के हाथ धोने व सैनिटाइज करने हेतु साबुन एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित किया जाय कि साबुन/सैनिटाइजर नियमित रूप से रिफिल किया जाय व प्रत्येक व्यक्ति परिसर में प्रवेश से पहले हाथ अवश्य धोए।

2. कार्य स्थल पर प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। पर्यवेक्षक द्वारा कार्मिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा खासी, बुखार अथवा सांस फूलने संबन्धी शिकायत होने पर उन्हें कार्यस्थल पर प्रवेश की अनुमति न दी जाय।

3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य स्थल तथा ऐसी सतह/वस्तु जो बार–बार छुई जाती हैं यथा डोर नॉब्स, गेट कुंडी आदि को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जा रहा है। कार्य में आने वाले औजारों/उपकरणों को यदि साझा किया जा रहा है तो उक्त औजारों/उपकरणों को विशेष रूप से विसंक्रमित किया जाय।

4. यदि कार्मिक निर्माण स्थलों के अंदर काम कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र (कार्यालय/साइट/रेस्ट प्लेस/आवासीय क्षेत्र) में सूर्य की रोशनी आने की व्यवस्था के साथ उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5. यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी कार्मिकों/पर्यवेक्षकों आदि द्वारा हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग (न्यूनतम दो गज) का पालन किया जा रहा है। कार्य स्थल सीमित होने पर कार्मिकों को शिफ्ट में कार्य आवंटन किया जाना चाहिए।

6. कार्यस्थल पर भोजन अवकाश के समय भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन आवश्यक है।

7. हाइजीनिक रूप से अपशिष्ट उत्पादों के निष्पादन हेतु कार्यस्थल पर डस्टबिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(ख) श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

1. यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्यस्थल/साइट पर प्रत्येक व्यक्ति हमेशा मास्क या 'गमछा' या दुपट्टा धारण करेगा।

2. मास्क तभी प्रभावी होते हैं जब लगातार हैंडवाशिंग भी की जाय। अतएव श्रमिकों को साबुन और साफ पानी के साथ न्यूनतम 20 सेकंड के लिए लगातार हैंडवाशिंग करने या 70 प्रतिशत अल्कोहल–आधारित रब से हाथों की सफाई करने हेतु निर्देशित किया जाय।

3. हाथ मिलाने (हैण्डशेक) के स्थान पर नमस्ते द्वारा अभिवादन किया जाए।

4. कार्य स्थल पर किसी भी दशा में तंबाकू उत्पादों का आदान–प्रदान/साझा नहीं होना चाहिए और कार्यस्थल में पान मसाला, पान, गुटखा का सेवन/थूकना नहीं चाहिए। बीड़ी और सिगरेट के साझा को हतोत्साहित करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एपिडेमिक एक्ट के अन्तर्गत जुर्माना लगाने का प्राविधान है।

5. छींकते व खासते समय सभी को साफ रूमाल अथवा कोहनी द्वारा अपना मुंह ढंकना चाहिए।

6. श्रमिकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपनी आंख, नाक और मुंह को बार–बार न छुएं, क्योंकि वायरस इन मार्गों से शरीर में प्रवेश करता है।

7. यदि किसी को बुखार, खांसी और/या साँस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उन्हें तुरंत अपने पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए और राज्य के हेल्पलाइन नंबर 1800–180–5145 या संबंधित सी0एम0ओ0/ जिला नियंत्रण कक्ष को फोन करना चाहिए ताकि अबिलम्ब चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।

(ग) सेवा प्रदाता द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

1. प्रबंधक/पर्यवेक्षक को कार्य स्थल पर शिफ्ट वार एक रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों के नाम/पते/मोबाइल नंबर का अंकन हो।

2. जहां तक संभव हो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों सहित महिलाओं को कार्यस्थल/साइट पर न आने दिया जाए।

3. यदि श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने हेतु वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें 100 सीटर बस में केवल 50 प्रतिशत क्षमता में ही परिवहन की सलाह दी जाती है। यह अनुपालन सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

4. परिवहन में प्रयोग में आने वाले वाहनों का भी प्रयोग से पहले तथा प्रयोग के बाद 1 प्रतिशत सोडियम हाइपो क्लोराइड से सैनिटाईजेशन कराया जाय।

5. यदि कार्यस्थल पर कैंटीन संचालित की जा रही हैं तो कैंटीन के कर्मचारियों को दस्ताने उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उन्हें बार–बार हाथ धोने हेतु निर्देशित करना आवश्यक है। कैन्टीन स्थल पर संबन्धित कार्मिकों के प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाय।

3– यदि कार्यस्थल पर किसी कार्मिक में कोविड–19 के लक्षण के पाये जाते हैं एवं जॉच में रिपोर्ट पाजिटिव आती है तो उस कार्मिक से सम्बन्धित कार्य स्थल के प्रक्षेत्र/भवन को पूरी तरह से 24 घंटे के लिये बन्द कर दिया जाय तथा उस स्थल को दो बार विसंक्रमित किया जायेगा। इसके साथ जो–जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क (एक मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क) में आये हों, उन्हें 14 दिन के लिये क्वारेन्टाइन किया जाय।

कृपया औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा कार्यालयों/संस्थाओं/संस्थानों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

31.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–902(1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

31/5/2020

Pankaj/GO/COME-3